



पूँजीकृत कार्यालय: पुराना बैंक इमारत, ओंकार भवन-1 एक्सप्रेस हाईवे बस स्टॉप
सांभलपुर, बल्लभ, मुम्बई-400055, शाखा कार्यालय: प्लॉट 1/9, दूसरी मंजिल, पश्चिमी घाटी नगर, दिल्ली-110008 वेबसाइट: www.yesbank.in.

अबल संपत्तियों की विक्री के लिए विक्री नोटिस

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिलुपिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिलुपित हित (स्वतंत्र) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के तहत पेशाद सूचित हित प्रवर्तन अभिनियम, 2002 के तहत अबल संपत्तियों की विक्री के लिए ई-नीलामी विक्री सूचना,

एकदमद्वारा सामान्य रूप से जानता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) एवं गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अबल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी/वाज की है, जिसका मौलिक कच्चा या बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी यानी सित्कोइड कंस्ट्रिक्टर द्वारा ले लिया गया है जिसको (1) शिवाल अहमद (2) श्री अजुमन और (3) श्री सलमान अहमद से सुरक्षित लेनदार को देना निर्णयित 24.08.2022 तक बकाया **₹ 30,22,173.17/- (रुपये तीस लाख बाईस हजार एक सौ तिरहतर तथा पैसे सत्रह मात्र)** सुरक्षित ऋणदाता को देय, अनुबन्धित दूर पर अधिकृत ब्याज और शुल्क के अधीन की सुरक्षी हस्त 29 जुलाई 2024 को को जैसा है जहाँ है, "जैसा है जो है", और "जो कुछ भी है" पर बैठा जाएगा। अखिल मूल्य रु. 16,60,000/- (सोलह लाख रुपए मात्र) होगा और बयाना राशि रु.16,60,000/- (एक लाख सत्रह हजार रुपए मात्र) होगी।

संपत्ति का विवरण

प्लॉट नंबर सी 1/-92, ओलेएफ एडविलेज एक्स्टेंशन-2, परगना-लोनी, भोपुरा, गाजियाबाद-उत्तर प्रदेश में स्थित प्लॉट नंबर एफ-4, प्रथम तल, सामाने बाई और, बिना छत के अधिकार के, 700 वर्ग फीट का कवर्ड एरिया वाली संपत्ति का सम्पूर्ण हिस्सा एवं अंश, परिबद्ध : विक्री विलेख के अनुसार,

ई-नीलामी की तिथि और समय: 29 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रत्येक 5 मिनट के वित्तांतर के साथ।

बोली जमा करने की तिथि और समय: 24 जुलाई, 2024 को अपराह्न 3.00 बजे तक

संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय: 20 जुलाई, 2024 को दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक

विक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट www.yesbank.in पर दिए गए लिंक <http://10.0.49.5/about-us/media/auction-property> को देखें।

निविदा प्रदर्शकों 1/ई-बोली सूची प्राप्त करने या अबल संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों के निरीक्षण में किसी भी कठिनाई के मामले में और प्रश्नों के लिए, कृपया यस बैंक लिमिटेड के संबंधित अधिकारियों, श्री मनोज कुमार संपर्क नंबर +91912500303060 और ई-मेल: manish.kumar51@yesbank.in और मेसर्स ई-प्रोकरासेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (नीलामी टाइगर) अहमदाबाद के अधिकारियों, बोलोदाता सहायता नंबर +91 9265656282, 1079-61200594 / 598 / 568 / 587 / 538, ई-मेल : gujarat@chintan.chintantiger.net पर भी संपर्क करें।

अधिनियम की धारा 13(8) के अपेक्षित अनुसार, यदि हमारे द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ हमारा कुल बकाया राशि को विक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय प्रत्यक्ष की जाती है, तो सुरक्षित संपत्ति हमारे द्वारा बकाया या हस्तांतरित नहीं की जाएगी, और उस सुरक्षित संपत्ति के हस्तांतरण या विक्री के लिए हमारे द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

उधारकर्ता/गारंटर्स को विक्री सूचना

उपरोक्त को दायित्वकर्ताओं के लिए उक्त शर्तों के मुताबिक हस्त प्रतिलुपित हित (स्वतंत्र) नियम, 2002 की धारा 9(1) के तहत प्रावधान की तारीख से 15 दिनों के भीतर नोटिस देना संभव नहीं माना जाएगा।

दिनांक: 30.06.2024, हस्ता/— प्राधिकृत अधिकारी, यस बैंक लिमिटेड, स्याम: दिल्ली

बन आयेगा। अतः आपको जो धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन, (और) पर न्यायालयों आदेश याचन सम्पन्न/सुचना निर्गत करने के संयुक्त हैं (अनुसूची आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न है)।

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत, आप, अर्थात् प्रतिवादीयों को, निम्नानुसार निवेशित किया जाता है :-

- (i) न्यायालयी आदेश अर्थात् सम्पन्न प्रसारित होने के तीस दिवसों के अन्दर कारण बताव / दिखाव कि जितरा जितरा प्रार्थना की गई है उसे व्योक्त क्यों नहीं किया जाता बाविर।
- (ii) आवेदक द्वारा मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई संघर्षितों एवं परिघर्षितियों को अतिरिक्त आवेदन संघर्षितों अथवा परिघर्षितियों के लिखित प्रकट करें।
- (iii) परिघर्षितियों की कुकीं के लिए आवेदक की सुनवाई और निष्पत्तय के विवरण रहने तक, आपको मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई प्रिभुपत्र परिघर्षितियों या ऐसी अन्य परिघर्षितियों और संघर्षितों का लैन-देन करने या निस्तराण करने से रोका गया है।
- (iv) आप, अधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा, अपने व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अलावा, किसी भी ऐसी परिघर्षित, जिस पर प्रिभुपत्र हित समाप्त किया गया है, को और / या मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के तहत विनिर्दिष्ट या प्रकट की गई अन्य परिघर्षितियों एवं संघर्षितों को, हस्तांतरित नहीं करेंगे।
- (v) आप, व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के तहत प्रिभुपत्र परिघर्षितियों या अन्य परिघर्षितियों और संघर्षितों की किसी से प्राप्त विकी आय को लिए निम्बदार होंगे और ऐसी विकी आय को, ऐसी परिघर्षितियों पर प्रिभुपत्र हित धारण करने वाले बैंक या वित्तीय संस्थानों को पास अग्ररक्षित खाते में जमा करेंगे।

आपको आवेदक को एक प्रति 2024 करने के दायित्व निर्वहन में साथ, लिखित विवरण दाखिल करने और 02/07/2024 को सुबह 10-30 बजे रीसमरार के समक्ष उपस्थित होने की भी निदेश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपको अनुसूचित में निर्णय ले लिया जाएगा।

आज दिनांक 03/04/2024 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकार की मुद्रा के अन्तर्गत निर्गत।

न्यायालय की मोहर

सम्पन्न जारी करने हेतु अधिकृत अधिकारी को हस्ताक्षर टिप्पणी: जो भी लागू ना हो छोड़ दें।

www.readwhere.com